



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक २७ (२)]

बुधवार, जुलै १, २०२६/आषाढ १०, शके १९४८

[पृष्ठे १६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १ जुलाई, २०२६ ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. XLVIII OF 2026.

A BILL

TO PROVIDE FOR RECOGNITION OF WOMEN FARMERS AND
ISSUANCE OF WOMAN FARMER CERTIFICATES, IN ORDER
TO ENABLE THEIR ACCESS TO VARIOUS WELFARE POLICIES,
PROGRAMMES, SCHEMES AND CREDIT, TO ESTABLISH A WOMEN
FARMERS DATABASE, A MAHARASHTRA STATE FUND FOR WOMEN
FARMERS, A WOMEN FARMERS EMPOWERMENT CELL, WOMEN
FARMERS EMPOWERMENT COUNCIL AND STATE MONITORING
COMMITTEE, AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR
INCIDENTAL THERETO.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ४८ सन् २०२६।

महिला किसानों को मान्यता देने और उन्हें महिला किसान प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक है ताकि वह विभिन्न कल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों योजनाओं और ऋण का लाभ उठा सके, महिला किसानों का डेटाबेस, महिला किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य कोष, महिला किसान सशक्तिकरण कक्ष, महिला किसान सशक्तिकरण परिषद और राज्य निगरानी समिति की स्थापना करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं;

(१)

और क्योंकि कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए, कृषि के भविष्य में विकास और स्थिरता के लिए, जलवायु परिवर्तन के युग में खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए और महिला किसानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए महिला किसानों की मान्यता और सशक्तिकरण करना आवश्यक है;

और क्योंकि महिला किसानों को मान्यता देना और उन्हें महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है ताकि वह विभिन्न कल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और ऋण का लाभ उठा सकें, महिला किसानों का डेटाबेस स्थापित करने, महिला किसानों के लिए, महाराष्ट्र राज्य कोष, महिला किसान सशक्तिकरण कक्ष, महिला किसान सशक्तिकरण परिषद और राज्य निगरानी समिति की स्थापना करने और इससे तत्संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर है, अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, यह अधिनियम अधिनियमित किया जाता है,—

संक्षिप्त नाम। १. यह अधिनियम महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, २०२६ कहलाए।

परिभाषाएँ। २. इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “कृषि” का तात्पर्य सभी गतिविधियाँ सम्मिलित है जिसमें पारिश्रमिक के साथ या बिना पारिश्रमिक के, फसलों की खेती, बीज उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, चारा उत्पादन, मछली पालन, मत्स्य पालन, जलीय संवर्धन, रेशम उत्पादन, कृमि पालन, बागवानी, पुष्प उत्पादन, मशरूम की खेती, कृषि-वानिकी, चराई या खाद के लिए किसी भी भूमि या उसके भाग का उपयोग, सभी प्रकार की खाद बनाना या स्वरोजगार, पट्टेदारी खेती, बटाईदारी या अन्य प्रकार की खेती सहित स्थानांतरित खेती, स्वामित्व अधिकारों या उपयोग अधिकारों के आधार पर लघु या गैर-इमारती वन उत्पादों का संग्रह, उपयोग और बिक्री से संबंधित सभी गतिविधियाँ शामिल है, से है;

(ख) “अपीलीय अधिकारी” का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा ४ के अधीन नियुक्त अधिकारी से है ;

(ग) “नामित अधिकारी” का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा ४ के अधीन; नामित अधिकारी से है;

(घ) “किसान” का तात्पर्य महाराष्ट्र की किसी निवासी महिला से है, जो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, निम्नलिखित कार्य करती है,—

(एक) कृषि में जुड़े हुए लोग;

(दोन) विभिन्न प्रकार के कृषि बीजों, विभिन्न प्रकार के पशुओं और मछलियों के नवाचार, संरक्षण, परिरक्षण या प्रसार में योगदान देना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलनशीलता के लिए खेती के तरीके अपनाना, एकीकृत कृषि प्रणाली का अध्ययन करना;

(तीन) प्राथमिक प्रसंस्करण में संलग्न होकर प्राथमिक उपज या कच्चे कृषि और पशु उत्पादों में मूल्यवर्धन करना; और इसमें निम्न शामिल है, -

(क) कृषि परिचालन धारक, मौखिक या लिखित ठेका या समझौते के अधीन पट्टेदार किसान, भूमिहीन किसान, भूमिहीन पशुपालक, कृषि मजदूर, बागान मजदूर, पशुपालक;

(ख) राज्य में कम से कम एक वर्ष में कृषि मौसम के दौरान खेती करते हैं और किसी भी प्रयोजन से राज्य के बाहर या भीतर प्रवास करनेवाली महिलाएं ;

(ड.) “ग्राम सभा” तात्पर्य,—

(एक) अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में, ग्राम सभा को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, सन् १९६६ का १९९६ के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिभाषित किया गया है, और ४० ।

(दो) अनुसूचित क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा ३ सन् १९५९ का के खंड (९) में यथा परिभाषित ग्राम सभा से है; ३ ।

(च) “भूमि” का तात्पर्य उस भूमि से है जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है, या किया जा सकता है, और इसमें,—

(एक) ऐसी भूमि पर या उससे सटी हुई कृषि भवनों के स्थल;

(दोन) वह भूमि जिस पर घास प्राकृतिक रूप से उगती है;

(तीन) ऐसी भूमि पर वृक्ष और खड़ी फसलें;

(चार) कृषि प्रयोजन के लिए जल की आपूर्ति या भंडारण के लिए ऐसी भूमि पर संनिर्मित या बनाए रखी गयी नहरें, चैनल, कुएँ, पाइप, जलाशय या अन्य कार्य; और

(पाँच) जल निकासी व्यवस्था, तटबंध, बांध या ऐसी भूमि से संबंधित कोई अन्य कार्य, या कृषि प्रयोजनों के लिए उस पर संनिर्मित या बनाए रखे गए कार्य; और ऐसी भूमि पर सभी संरचनाएं और स्थायी जोड़ से है;

(छ) “निधि” का तात्पर्य धारा ११ के अधिन स्थापित महिला किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य निधि से है;

सन् १९६५ का ४० । (ज) “नगर पंचायत ” का तात्पर्य महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ के अधीन गठित नगर पंचायत से है;

(झ) “विहित” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित से है;

(त्र) “प्राथमिक प्रसंस्करण” का तात्पर्य कच्चे उत्पाद या सामग्री को उपभोग के लिए या आगे के प्रसंस्करण के लिए यथोचित प्ररूप में परिवर्तित करना, से है;

(ट) “अविवाहित महिला” का तात्पर्य १८ वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिला से है जिसका पति या तो मर चुका है या लापता है, जिसे छोड़ दिया गया है या कानूनी रूप से अलग कर दिया गया है, तलाकशुदा है या अविवाहित महिला से है;

(ठ) “राज्य निगरानी समिति” का तात्पर्य, अधिनियम की धारा (१३) के अधीन गठित राज्य निगरानी समिति से है;

सन् १९५९ का ३ । (ड) “ग्राम पंचायत” का तात्पर्य, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन गठित पंचायत से है;

(ढ) “महिला किसान” का तात्पर्य, किसी भी ऐसी महिला से है जिसकी आयु अठारह वर्ष या उससे अधिक है और जो किसान है;

(ण) “महिला किसान सहायता अधिकारी” का तात्पर्य अधिनियम की धारा १५ के अधीन नियुक्त महिला किसान सहायता अधिकारी से है;

(त) “महिला किसान प्रमाणपत्र” का तात्पर्य अधिनियम की धारा ५ और ६ के अधीन नामित अधिकारी द्वारा किसी महिला को जारी किए गए प्रमाण पत्र से है;

(थ) “महिला किसान सशक्तिकरण कक्ष” का तात्पर्य अधिनियम की धारा १४ के अधीन स्थापित महिला किसान सशक्तिकरण कक्ष से है;

(द) “महिला किसान सशक्तिकरण परिषद” या “परिषद” का तात्पर्य, अधिनियम की धारा १२ के अधीन गठित महिला किसान सशक्तिकरण परिषद से है;

(ध) “महिला किसान डेटाबेस” का तात्पर्य अधिनियम की धारा १० के अधीन संग्रहीत और बनाए रखा गया महिला किसान डेटाबेस से है।

महिला किसान को मान्यता। ३. प्रत्येक महिला जिसकी आयु अठारह वर्ष हो चुकी है और जो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत क्षेत्र में रहती है और जो भी किसान है, वह इस अधिनियम के अधीन महिला किसान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होगी और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए महिला किसान प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा।

नामित अधिकारी और अपीलीय अधिकारी। ४. (१) राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए सहायक कृषि अधिकारी के पद से अनिम्न श्रेणी से न होने वाले और कृषि अधिकारी के पद से अनिम्न श्रेणी से न होने वाले ऐसे नामित अधिकारियों की ऐसी संख्या जो इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए, वह उचित समझे जानेवाले नगर पंचायत क्षेत्रों का उपयोग कर सकता है।

(२) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए, जैसा उचित समझे, तालुका कृषि अधिकारी के पद से अनिम्न श्रेणी के ऐसे अधिकारियों की संख्या को अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

ग्राम पंचायत में महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करना। ५. (१) कोई भी महिला जो किसान है और ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहती है जो महिला किसान के रूप में मान्यता प्राप्त करने और महिला किसान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नामित अधिकारी को विहित प्रपत्र और जैसा की विहित किया जाए ऐसी रीत्या आवेदन कर सकेगी।

(२) नामित अधिकारी ग्राम सभा के पूर्व उप-धारा (१) के अधीन प्राप्त सभी आवेदनों को अगली नियमित बैठक में या इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई विशेष बैठक में रखेगा।

(३) ग्राम सभा उप-धारा (२) के अधीन उसके समक्ष रखे गए आवेदनों की प्राप्ति पर विचार विमर्श, करने के पश्चात् अधिनियम धारा २ के खंड (क) और (घ) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदक खंडों में उल्लिखित गतिविधियों में से कम से कम एक गतिविधि को करना है और ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करें:

परन्तु, ऐसे किसी आवेदन के अस्वीकृत होने के मामले में, ग्राम सभा प्रस्ताव में अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा:

परन्तु और यह कि, ग्राम सभा संकल्प द्वारा भी, उसका प्रस्ताव अपने अधिकार क्षेत्र में उन महिलाओं को मान्यता देना, जिन्होंने उप-धारा (१) के अधीन महिला किसान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया है परन्तु जो किसान हैं, उन्हें महिला किसान के रूप में नामित अधिकारी को निर्देशित करें और उन्हें महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दें।

(४) जहाँ ग्राम सभा उप-धारा (३) के अधीन अपने संकल्प द्वारा यदि कोई प्रस्ताव पारित होता है और किसी महिला को महिला किसान के रूप में मान्यता दी जाती है, तो नामित अधिकारी ऐसे प्रस्ताव पारित होने के पंद्रह दिनों के भीतर, विहित प्ररूप और रीत्या, महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(५) जहाँ ग्राम सभा उप-धारा (३) के अधीन अपने संकल्प द्वारा यदि कोई संकल्प पारित होने के सात दिनों के भीतर आवेदक को महिला किसान के रूप में मान्यता देने से इनकार करता है, तो नामित अधिकारी इस संकल्प पारित होने के सात दिनों की अवधि भीतर आवेदक को लिखित रूप में सूचित करेगा,—

(क) ग्राम सभा में यथा विनिर्दिष्ट प्रस्ताव की अस्वीकृति के कारणों को निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की जा सकती है; और

(ग) उस अपीलीय अधिकारी का विवरण जिसके समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

(६) किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा,-

(क) ग्राम सभा संकल्प उप-धारा (३) के अधीन किसी महिला को महिला किसान के रूप में मान्यता देने के आवेदन को अस्वीकार करता है तो ऐसे संकल्प के दिनांक से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर, या

(ख) उप-धारा (४) के अधीन निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर नामित अधिकारी द्वारा महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करने में विफल होने पर ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद और उसके एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर,

अपीलीय अधिकारी के समक्ष जैसे कि विहित किया जाए ऐसे विहित प्रपत्र और रीत्या, अपील की जा सकेगी।

(७) अपीलीय अधिकारी को अपील प्राप्त होने पर, अपील के पक्षकों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अपील पर विचार करेगा और अपील दाखिल होने दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर तर्कसंगत आदेश के साथ उसका निपटारा करेगा :

परन्तु, अपीलीय अधिकारी एक सौ बीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि उसका यह समाधान होता है कि, अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से उक्त अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से वंचित रहा हो।

(८) यदि अपीलीय अधिकारी अपील की सुनवाई करने पर उसकी यह राय हो कि, अपीलकर्ता एक महिला किसान है, तो वह नामित अधिकारी को आदेश को दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को महिला किसान प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देगा।

६. (१) नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहनेवाली कोई भी महिला किसान, महिला किसान के रूप में मान्यता प्राप्त करने और महिला किसान प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे प्रपत्र और रीत्या, से नामित अधिकारी को आवेदन कर सकती है।

नगर पंचायत क्षेत्र में महिला किसान प्रमाणपत्र जारी करना।

(२) नगर पंचायत की अपनी अगली आम बैठक के सक्षम नामित अधिकारी उप-धारा (१) के अधीन प्राप्त सभी आवेदनों को रखेगा।

(३) नगर पंचायत की उप-धारा (२) के अंतर्गत उसके समक्ष रखे गए आवेदनों की प्राप्ति पर यह विचार करने के बाद कि क्या अधिनियम की धारा (२) के खंड (क) और (घ) में तथा निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदक खंडों में उल्लिखित गतिविधियों में से कम से कम एक गतिविधि को करना है और ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का संकल्प पारित कर सके:

परन्तु, ऐसे किसी आवेदन के अस्वीकृत होने के मामले में, नगर पंचायत प्रस्ताव में अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(४) जहाँ नगर पंचायत, उप-धारा (३) के अधीन अपने संकल्प द्वारा यदि कोई प्रस्ताव पारित होता है और आवेदक को महिला किसान के रूप में मान्यता दी जाती है, तो नामित अधिकारी ऐसे प्रस्ताव पारित होने के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, जैसा कि विहित किया जा सके, ऐसे प्ररूप और रीत्या, महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(५) जहाँ नगर पंचायत, उप-धारा (३) के अधीन अपने संकल्प द्वारा यदि कोई नामित अधिकारी किसी आवेदक को महिला किसान के रूप में मान्यता देने से इनकार करता है, तो वह संकल्प पारित होने के सात दिनों के भीतर आवेदक को लिखित रूप में निम्नलिखित सूचना देगा,—

(क) नगर पंचायत में यथा विनिर्दिष्ट संकल्प की ऐसी अस्वीकृति के कारणों को निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की जा सकेगी; और

(ग) जिसके समक्ष अपील दायर की जा सकेगी उस अपीलीय अधिकारी का विवरण ।

(६) किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा,-

(क) नगर पंचायत का संकल्प उप-धारा (३) के अधीन महिला किसान को मान्यता देने के आवेदन को अस्वीकार करने पर ऐसे संकल्प से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर, या

(ख) उप-धारा (४) के अधीन निर्दिष्ट समयावधि के भीतर नामित अधिकारी द्वारा महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करने में विफल होता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद और उसके एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर, अपीलीय अधिकारी के समक्ष, जैसा की विहित किया जाए ऐसे प्रपत्र और रीत्या, अपील की जा सकेगी,

जैसा कि विहित किया जा सके ऐसे प्ररूप और रीति से अपिल अधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(७) अपीलीय अधिकारी, अपील प्राप्त होने पर, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अपील पर विचार करेगा और अपील दाखिल होने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर तर्कसंगत आदेश के साथ उसका निपटान करेगा:

परन्तु, अपीलीय अधिकारी एक सौ बीस दिनों की, अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट होता है कि, अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से उक्त अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से वंचित रहा हो।

(८) यदि अपीलीय अधिकारी अपील की सुनवाई करने पर उसकी यह राय हो कि, अपीलकर्ता एक महिला किसान है, तो वह नामित अधिकारी को आदेश के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देगा।

महिला किसान प्रमाणपत्र की समाप्ति। ७. महिला किसान का प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक महिला किसान बनी रहती है। यदि कोई महिला किसान नहीं रहती है, तो वह इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रमाण पत्रों के लाभों की हकदार नहीं होंगी और उसका प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा।

महिला किसान प्रमाणपत्र की उपयोगिता। ८. (१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी महिला किसान की पहचान महिला किसान के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन से महिला किसान प्रमाणपत्र निर्णायक सबूत होगा।

(२) महिला किसान प्रमाणपत्र धारक महिला, किसान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, अधिसूचित नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के अधीन पत्रता, मिलने वाले लाभों, आर्थिक मदद और सेवाओं को प्राप्त करने की हकदार होगी, जैसा कि विनिर्दिष्ट की जा सके ऐसी, उनमें निर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी।

(३) राज्य सरकार समय-समय पर महिला किसानों और उनके समूहों के कल्याण के लिए निम्नलिखित मामलों से संबंधित उपर्युक्त नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएं बना सकेगी,—

(क) कृषि संबंधी आर्थिक सहायता;

(ख) बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री का वितरण;

(ग) कृषि ऋण, फसल बीमा और विस्तार सेवाएं;

(घ) कृषि उत्पादों की बाजार पहुंच, परिवहन, भंडारण और खरीद को सुगम बनाना;

(ड.) एकल महिला किसानों के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम, कौशल विकास और लक्षित सहायता;

(च) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाए ऐसे किसी अन्य मामले।

९. महिला किसान प्रमाण पत्र रखने वाली महिला किसान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऋण नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के अधीन यथोचित प्रकार के ऋण प्राप्त करने की हकदार होगी। महिला किसान प्रमाणपत्र के जरिए लाभ पाना।

१०. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए महिला किसानों का डेटा निर्धारित तरीके से एकत्र और बनाए रखेगी। महिला किसान डाटाबेस की स्थापना।

(२) महिला किसान डेटाबेस में उन सभी महिला किसानों की जानकारी होगी जिन्हें इस अधिनियम के अधीन महिला किसान प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

११. (१) राज्य सरकार महिला किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य कोष का गठन करेगी और उसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी:— महिला किसान के लिए महाराष्ट्र राज्य निधि।

(क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त कोई भी अनुदान;

(ख) अन्य संस्थानों और व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी अनुदान, दान, उपहार, परोपकार; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, अधिसूचित की जाने वाली कोई अन्य राशि।

(२) यह निधि राज्य सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रहेगी और इसका उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:-

(क) महिला किसानों के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम लागू करना और सहायता प्रदान करना;

(ख) महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए वित्तपोषण उपाय;

(ग) महिला किसानों के कल्याण को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं प्रदान करना; और

(घ) जैसा कि विहित किया जा सके ऐसे अन्य मामले।

१२. (१) राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण परिषद की स्थापना करेगी। महिला किसान सशक्तिकरण परिषद की स्थापना।

(२) महिला किसान सशक्तिकरण परिषद में निम्नलिखित पदेन सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) मुख्यमंत्री अध्यक्ष;

(ख) उपमुख्यमंत्री सदस्य;

(ग) कृषि मंत्री सदस्य;

(घ) महिला और बाल विकास मंत्री सदस्य;

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्री सदस्य;

(च) सहकारिता मंत्री सदस्य;

(छ) पशुपालन, दुग्धउद्योग, विकास और मत्स्य पालन मंत्री सदस्य;

(ज) वित्त मंत्री सदस्य;

(झ) वन मंत्री सदस्य;

(ञ) राजस्व मंत्री सदस्य;

(ट) नगरविकास मंत्री सदस्य;

(ठ) कृषि राज्य मंत्री सदस्य;

(३) सचिव, कृषि विभाग

सदस्य सचिव।

(३) महिला किसान सशक्तिकरण परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और आवश्यकतानुसार अन्य बैठकों की भी बैठक हो सकती है।

(४) महिला किसान सशक्तिकरण परिषद निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन करेगी, अर्थात्:-

(क) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समग्र नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करना;

(ख) महाराष्ट्र में महिला किसानों की स्थिति की समीक्षा करना और नीतिगत सुधारों की सिफारिश करना;

(ग) महिला किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना;

(घ) महिला किसानों की ऋण, बाजारों, बीमा, प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए रणनीतियों को मंजूरी देना।

राज्य निगरानी
समिति की
स्थापना।

१३. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राज्य निगरानी समिति का गठन करेगी।

(२) राज्य निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :-

(क) मुख्य सचिव

अध्यक्ष;

(ख) सचिव, कृषि विभाग

सदस्य;

(ग) सचिव, वित्त विभाग

सदस्य;

(घ) सचिव, महिला तथा बाल विकास विभाग

सदस्य;

(ङ) सचिव, ग्राम विकास विभाग

सदस्य;

(च) सचिव, वन विभाग

सदस्य;

(छ) सचिव, राजस्व विभाग

सदस्य;

(ज) सचिव, नगरविकास विभाग

सदस्य;

(झ) सचिव, सहकारिता विभाग

सदस्य;

(ञ) सचिव, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास तथा मत्स्य विभाग

सदस्य;

(ट) कृषि आयुक्त

सदस्य-सचिव।

(३) समिति कृषि, बाजार, बैंकिंग, जल संरक्षण, लिंग अध्ययन, कानून, अर्थशास्त्र और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अपनी बैठकों में सहायता या सलाह के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(४) समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी, और दो लगातार बैठकों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा, और वह अपनी बैठकों में ऐसी कार्यप्रणाली का पालन करेगी जैसा वह विहित करे।

(५) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समिति के निम्नलिखित कर्तव्य और कार्य होंगे, अर्थात्-

(क) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संकेतक और मानदंड विकसित करना;

(ख) महिला किसान प्रमाणपत्रों की मान्यता और प्रमाणपत्र नवीनीकरण की प्रक्रिया की निगरानी

करना;

(ग) राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन महिला किसानों को मिलने वाले लाभों, आर्थिक सहायता, ऋण, बीमा और सेवाओं की निगरानी करना; और

(घ) कार्यान्वयन में आने वाली शिकायतों, बाधाओं और देरी की जांच करना और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

१४. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण कक्ष की स्थापना करेगी। महिला किसानों का सशक्तिकरण कक्ष।

(२) महिला किसान सशक्तिकरण कक्ष में निम्नलिखित पदेन सदस्य शामिल होंगे अर्थात् :—

(क) सचिव, कृषि विभाग	अध्यक्ष;
(ख) कृषि आयुक्त	सदस्य;
(ग) कृषि विभाग के उप सचिव	सदस्य;
(घ) कृषि विभाग के अधीन निदेशक	सदस्य;
(च) कृषि निदेशक (विस्तार एवं प्रशिक्षण)	सदस्य-सचिव।

(३) महिला किसान सशक्तिकरण कक्ष, कृषि, बाजार, बैंकिंग, जल, लैंगिक अध्ययन, कानून, अर्थशास्त्र और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को उनकी सहायता या सलाह के लिए अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

(४) महिला किसान सशक्तिकरण कक्ष के कर्तव्य और कार्य निम्नलिखित हैं :—

(क) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना;

(ख) महिला किसानों को लाभ और सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय करना;

(ग) महिला किसान सशक्तिकरण परिषद और राज्य निगरानी समिति को तकनीकी और सचिवालयीन सहायता देना;

(घ) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार के लिए नीति, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार करना;

(ङ) महिला किसानों के लिए आवधिक अध्ययन और स्थितिजन्य विश्लेषण करना;

(च) लिंग-संवेदनशील कृषि प्रौद्योगिकियों, मशीनीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना;

(छ) अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वित्तीय संस्थानों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना;

(ज) अधिनियम के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

१५. (१) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित को नामित करेगी :— महिला किसान सहायता अधिकारी।

(क) ब्लॉक स्तर पर महिला किसान सहायता अधिकारी के रूप में कृषि अधिकारी से कम श्रेणी का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, और

(ख) जिला स्तर पर महिला किसान सहायता अधिकारी के रूप में कृषि उप निदेशक से कम श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति करना।

(२) महिला किसान सहायता अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेंगी, अर्थात् :-

(क) महिला किसानों को महिला किसान प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सहायता करना;

(ख) ग्राम सभा और नगर पंचायत महिला किसानों को मान्यता देने और महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करने में सहायता करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन महिला किसानों के अधिकारों के संबंध में व्यक्तियों या समूहों को जानकारी देना ; और

(घ) राज्य सरकार को लिंग-संवेदनशील विस्तार सेवाओं को कार्यान्वित करने में सहायता करना।

सद्भावनापूर्वक
की गयी कार्यवाही
का संरक्षण।

१६. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में, सद्भावनापूर्वक कृत या कीए जाने का प्रयास किए गए किसी भी कार्य के लिए राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या महिला किसान सशक्तिकरण कक्ष के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

यह अधिनियम
किसी अन्य विधि
का उल्लंघन नहीं
करता है।

१७. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधों के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य कानून के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका उल्लंघन करने वाले हो।

नियम बनाने की
शक्ति।

१८. (१) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के सभी या किन्ही प्रयोजनों के लिए नियम बनायेगी।

(२) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्ही मामलों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:-

(क) धारा ५ की उप-धारा (१) के अधीन नामित अधिकारी कोई महिला किसान द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के प्ररूप और रीति ;

(ख) प्ररूप और से रीति नामित अधिकारी धारा ५ की उप-धारा (१) के अधीन महिला किसान प्रमाणपत्र जारी करेगा ; जिसमें

(ग) धारा ५ की उप-धारा (६) के अधीन अपीलीय अधिकारी के सक्षम अपील प्रस्तुत करने का प्रपत्र और रीति ;

(घ) वह प्ररूप और रीति जिससे कोई महिला किसान धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन नामित अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी ;

(ङ) वह प्ररूप और रीति जिससे नामित अधिकारी धारा ६ की उप-धारा (४) के अधीन महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करेगा ;

(च) धारा ६ की उप-धारा (६) के अधीन अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;

(छ) जिस रीति से धारा १० की उप-धारा के अधीन महिला किसान डेटाबेस को संग्रहीत बनाए रखा जाना है ;

(ज) ऐसे अन्य मामले जिनके लिए धारा ११ की उप-धारा (२) के अधीन राज्य निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(झ) किसी अन्य मामले जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन नियम बनाना आवश्यक है।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के तुरंत पश्चात्, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि, जिस सत्र में इसे रखा गया है या उसके तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन किसी नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाए, और इस संबंध में अपने निर्णय की सूचना दें, तो **राजपत्र** में इस नियम के ऐसे निर्णय की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से केवल संशोधित रूप में ही प्रभाव होगा या कोई प्रभावी नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम के अधीन पहले किए गए या न किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

१९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, **राजपत्र** में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप, ऐसे उपबंध किए जाएं जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों : कठिनाइयों के निराकरण करने की शक्ति।

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारंभन के दिनांक से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् इस उप-धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, रखा जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३९ और ४३ में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्य से यह अपेक्षा करते हैं कि वह सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने और संसाधनों और अवसरों के समान और लिंग-संवेदनशील वितरण की दिशा में अपनी नीतियों का निर्देशन करते हैं।

२. अधिकांश कृषि नीतियां, योजनाएँ और विस्तार प्रणालियाँ लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, तथापि, अधिकांश कृषि योजनाओं और संबंधित अधिकारों तक पहुंच के लिए भूमि स्वामित्व की अनिवार्यता ने कई महिला किसानों के लिए ऐसी योजनाओं को दुर्गम बना दिया है, क्योंकि इनमें से बहुत कम प्रतिशत महिलाओं के पास ही कृषि भूमि है। ऐसे में, जो महिलाएं औपचारिक स्वामित्व के बिना पारिवारिक या सामुदायिक भूमि पर खेती करती हैं, उन्हें अक्सर किसान के बजाय कृषि मजदूर माना जाता है। इसी प्रकार, जो महिलाएं मछली पकड़ना, लघु वन उपज संग्रहण, मुर्गी पालन, पशुपालन आदि ; जैसी खेती से इतर गतिविधियों में लगी हैं, उन्हें भी किसान के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। महिला किसानों और उनके कृषि श्रम की यह व्यवस्थागत उपेक्षा गंभीर है और इससे कई प्रकार के बहिष्कार उत्पन्न होते हैं, जिनमें योजनाओं, ऋण और बाजारों तक पहुंच में भेदभाव शामिल है।

३. इसलिए, सरकार कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी महिलाओं को महिला किसान के रूप में मान्यता देने और उन्हें महिला किसान प्रमाण पत्र देने के लिए एक नया कानून बनाना इष्टकर समझती है, जिससे वे अधिकारों, लाभों, आर्थिक सहायता, सेवाओं और ऋण तक पहुंच सकें। प्रस्तावित कानून में महिला किसान सशक्तिकरण परिषद और कक्ष राज्य निगरानी समिति की स्थापना और महिला किसान निधि और उनके डेटाबेस और तत्संबंधी मामलों को संग्रहीत और बनाए रखने का भी उपबंध है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ३० जून, २०२६ ।

दत्तात्रय भरणे,
कृषि मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव अन्तर्ग्राह्य हैं, अर्थात्:-

खंड ४.- इस खंड के अंतर्गत, राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गयी है,-

(क) उप-खंड के (१) अधीन राजपत्रमें, अधिसूचना द्वारा नामित करने के लिए अधिकारी, नामित अधिकारी के रूप में, निम्नतम श्रेणी के नीचे का न हो,-

(एक) ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए सहायक कृषि अधिकारी; और

(दो) नगर पंचायत के क्षेत्रों के लिए कृषि अधिकारी ।

(ख) उप-खंड (२) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए अपीलीय अधिकारी के रूप में तालुका कृषि अधिकारी से कम श्रेणी के अधिकारियों की इतनी संख्या नियुक्त करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझे।

खंड ५.- इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की है, -

(क) उप-खंड (१) के अधीन ग्राम पंचायत के क्षेत्र में महिला किसान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु प्ररूप और रीति को नियमों द्वारा विहित करना;

(ख) उप-खंड (४) के अधीन महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियमों द्वारा प्ररूप और रीति विहित करना;

(ग) उप-खंड (६) के अधीन अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने के लिए नियमों द्वारा प्ररूप और रीति विहित करना।

खंड ६.- इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की जाती है,—

(क) उप-खंड (१) के अधीन नगर पंचायत के क्षेत्र में महिला किसान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु प्ररूप और रीति को नियमों द्वारा विहित करना;

(ख) उप-खंड (४) के अधीन महिला किसान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियमों द्वारा प्ररूप और रीति विहित करना;

(ग) उप-खंड (६) के अधीन अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने के लिए नियमों द्वारा प्ररूप और रीति विहित करना।

खंड ८(२).- इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को उन नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है, जिनके लिए महिला किसान प्रमाण पत्र धारक हकदार हैं।

खंड १०(१).- इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को महिला किसानों के डेटाबेस के संकलन और रखरखाव की रीति को विहित करने का अधिकार दिया गया है।

धारा ११.- इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की जाती है,—

(क) उप-खंड (१) (ग) के अधीन महिला किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य निधि में जमा की जाने वाली किसी अन्य राशि को अधिसूचित करना;

(ख) उप-खंड (२) के अधीन महाराष्ट्र राज्य की महिला किसानों के लिए निधि के उपयोग से संबंधित किसी अन्य मामले को नियमों द्वारा विहित करना।

खंड १२(१).- इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा महिला किसान सशिक्षितकरण परिषद स्थापित करने का अधिकार दिया गया है।

खंड १८ (१).— इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

खंड १९ (१).— इस खंड के अधीन, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी कठनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार को **राजपत्र** में आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है।

२. विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हैं।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक के खंड ११ में महिला किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य निधि के गठन का उपबंध है। इस राज्य निधि का उपयोग महिला किसानों के कल्याण और विकास के लिए सहायता प्रदान करने, महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय उपाय करने, महिला किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने और सुविधाएं प्रदान करने और ऐसे अन्य मामलों के लिए किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, साथ ही दान और अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि भी उक्त निधि में जमा की जाएगी।

यह विधेयक राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में इसकी अधिनियमित पर महिला किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य निधि में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों के लिए राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय शामिल होगा। तथापि, इस निमित्त उपगत होनेवाला व्यय इस स्तर पर इस संबंध में होने वाले वास्तविक आवर्ती व्यय का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक, २०२६ ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते हैं.

विधान भवन :

मुंबई,

दिनांकित १ जुलाई, २०२६।

जितेंद्र भोळे,

सचिव-१

महाराष्ट्र विधानसभा।